

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त, कांकेर (छत्तीसगढ़)

ccf-kanker.cg@gov.in

(07868) 222014

(07868) 222472

क्रमांक/मा.चि./न.क्र.32/2020/1305

कांकेर, दिनांक/09/06/2020

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक

(भू-प्रबंध)

छत्तीसगढ़ नवा रायपुर अटल नगर।

विषय :- Diversion of Forest land for Non-Forest under Forest Conservation Act 1980 Proposed for Govt. Polytechnic Building for Skill upgradation Area 4.309 ha.- Regarding Registration No. FP/CG/Other/27773/2017

संदर्भ :-

1. आपका पत्र क्रमांक/भू-प्रबंध/विविध/115-720/26 दिनांक 07.01.2020
2. वनमंडलाधिकारी कांकेर वनमंडल के पत्र क्रमांक/मा.चि./2020/908 दिनांक 06.05.2020

—

विषयांतर्गत संदर्भ में निवेदन है कि आवेदनकर्ता प्राचार्य, शासकीय पॉलिटेक्निक कांकेर द्वारा कांकेर वनमंडल के अंतर्गत कांकेर परिक्षेत्र के नारंगी वन खण्ड नाथियानवागांव कक्ष क्रमांक 346 में 4.309 हे. वन भूमि में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत तैयार व्यपवर्तन हेतु प्रेषित प्रस्ताव में छ.ग.शासन वन विभाग मंत्रालय नवा रायपुर के पत्र क्रमांक/एफ 5-22/2019/10-2 दिनांक 24.12.2019 द्वारा 05 बिन्दुओं पर पाई गई त्रुटियों की पूर्ति करने हेतु प्रस्ताव मूलतः वापस किया गया था।

वनमंडलाधिकारी कांकेर वनमंडल के संदर्भित पत्र (अ.क्र.2) द्वारा 05 बिन्दुओं पर पाई गई त्रुटियों का निराकरण कर प्रस्ताव इस कार्यालय को प्रस्तुत किया गया है। वनमंडलाधिकारी के प्रतिवेदन अनुसार विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	आपत्ति बिन्दु	विवरण
1	बिन्दु क्र. 18 में मुख्य वन संरक्षक कांकेर के पत्र दिनांक 16.08.2019 का हवाला देते हुए लेख किया गया है कि वनमंडलाधिकारी कांकेर द्वारा पूर्व में पत्र दिनांक 03.05.2013 के माध्यम से प्राचार्य, शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज कांकेर को 0.999 हे. वन भूमि व्यपवर्तन की अनुमति दी गई है, जिसमें शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज का निर्माण किया गया है। उपरोक्त व्यपवर्तित 0.999 हे. में 3.310 हे. जोड़कर कूल 4.309 हे. के व्यपवर्तन की अनुमति राज्य शासन स्तर से चाही गई है। उक्त बिन्दु क्र.18 में उल्लेखित वनमंडलाधिकारी कांकेर के अनुमति पत्र दिनांक 03.05.2013 एवं मुख्य वन संरक्षक के पत्र दिनांक 16.08.2019 की छायाप्रति तथा वनमंडलाधिकारी कांकेर के उक्त पत्र दिनांक 03.05.2013 में निहित शर्तों का अघतन पालन प्रतिवेदन प्रेषित करें।	वनमंडलाधिकारी के कार्यालय पत्र क्रमांक 4733 दिनांक 03.05.2013 द्वारा प्राचार्य शासकीय पॉलिटेक्निक कांकेर को Skill Upgradation or Vocational Training Centers हेतु 0.999 हे. भूमि में गैर वानिकी कार्य हेतु विपथन की अनुमति दी गई है। जिसमें प्राचार्य शासकीय पॉलिटेक्निक कांकेर के द्वारा 0.231 हे. में पॉलिटेक्निक भवन, बालक छात्रावास भवन 0.600 हे. में तथा पहुंच मार्ग 0.135 हे. में बनाया जा चुका है। व.म.अ. कांकेर का पत्र दिनांक 03.05.2013 एवं मुख्य वन संरक्षक कांकेर पत्र दिनांक 16.08.2019 की छायाप्रति संलग्न है।

2	<p>उपरोक्त बिन्दु से यह स्पष्ट है कि 0.999 हे. वन भूमि का व्यपवर्तन हो चुका है ऐसी स्थिति में उसी क्षेत्र को दोबारा क्यों व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित किया गया है। पूर्व की अनुमति का उल्लेख करते हुए शेष वन क्षेत्र 3.310 हे. का प्रस्ताव अतिरिक्त मांग (औचित्य सहित) के रूप में प्रेषित करें।</p>	<p>प्राचार्य शासकीय पॉलिटेक्निक कांकेर को 0.999 हे. विपथित भूमि के अतिरिक्त 3.310 हे. भूमि की और आवश्यकता है, जिसमें 0.999 हे. भूमि को जोड़कर 4.309 हे. वन भूमि का वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत प्रस्ताव तैयार कर प्रेषित की गई है। अतः प्राचार्य शासकीय पॉलिटेक्निक कांकेर को 4.309 हे. वन भूमि को गैर वानिकी कार्य हेतु व्यपवर्तन की स्वीकृति हेतु अनुशंसा की जाती है।</p>																																																				
3	<p>वनमण्डलाधिकारी कांकेर द्वारा पूर्व में 0.999 हे. व्यपवर्तित वन क्षेत्र का NPV लिया गया होगा किन्तु अब पुनः उक्त 0.999 हे. भूमि को जोड़कर 4.309 हे. के प्रस्ताव में पृष्ठ क्र. 114 में NPV की गणना की गई है। कृपया स्थिति स्पष्ट करें।</p>	<p>धारा 3 (2) के तहत गैर वानिकी कार्य हेतु विपथित भूमि का पूर्व में किसी भी प्रकार से प्रत्याशा मूल्य की राशि वसूल नहीं की गई है। विपथित भूमि को जोड़कर F.C.A प्रकरण 4.309 हे. का प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किये जाने के कारण 0.999 एवं 3.310 हे. कूल 4.309 हे. का N.P.V की गणना की गई है। मान्य करने हेतु अनुरोध है।</p>																																																				
4	<p>प्रस्ताव के पृष्ठ क्र.71 में आवेदित वन भूमि की मदवार आवश्यकता का ब्यौरा दिया गया है। इसमें शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज हेतु 0.231 हे. दर्शाया गया है तथा पूर्व में व्यपवर्तित 0.999 हे. वन भूमि में कितनी कितनी भूमि किस-किस नाम से उपयोग की गई है मदवार ब्यौरा प्रेषित करें तथा मदवार ब्यौरा में अतिरिक्त 3.310 हे. किस-किस मद में आबंटित है। इसका विस्तृत ब्यौरा प्रेषित करें।</p>	<p>प्रस्ताव के पृष्ठ क्र.71 में दी गई मदवार आवश्यक ब्यौरा के अनुसार पूर्व में विपथित भूमि 0.999 हे. में की गई निर्माण कार्य तथा अतिरिक्त कार्य जो प्रस्तावित है, की जानकारी प्राचार्य शासकीय पॉलिटेक्निक कांकेर के पत्र क्र.1635 दिनांक 24.04.2020 के प्रतिवेदन अनुसार (छायाप्रति संलग्न) ब्यौरा निम्न है:-</p> <p>(A) विपथित भूमि 0.999 हे. में किये गये निर्माण कार्य की जानकारी निम्नानुसार है:-</p> <table border="1" data-bbox="838 1139 1481 1338"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Name of construction</th> <th>Area(he.)</th> <th>Remark</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Govt. Polytechnic Collage Kanker (Building)</td> <td>0.231 he.</td> <td>Completed</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Male Hostel</td> <td>0.600 he.</td> <td>Proposed area</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Approach road</td> <td>0.135 he.</td> <td>Completed</td> </tr> </tbody> </table> <p>(B) प्रस्तावित भूमि 3.310 हे. में किये जाने वाले प्रस्तावित निर्माण कार्य की जानकारी निम्नानुसार है :-</p> <table border="1" data-bbox="838 1437 1481 1824"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Name of construction</th> <th>Area he.</th> <th>Remark</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>I Type 8. Nos Quater</td> <td>0.190 he.</td> <td>Proposed area</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>G Type 4. Nos Quarter</td> <td>0.270 he.</td> <td>Proposed area</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>F- Type 12. Nos Quarter</td> <td>0.650 he.</td> <td>Proposed area</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Play Ground (football,cricket, badmintion, basketball)</td> <td>1.500 he.</td> <td>Proposed area</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Principal House</td> <td>0.190 he.</td> <td>Proposed area</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Girls, Hostel</td> <td>0.400 he.</td> <td>Proposed area</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Ground</td> <td>0.143 he.</td> <td>Proposed area</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Grand Total-</td> <td>4.309 he.</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Name of construction	Area(he.)	Remark	1	Govt. Polytechnic Collage Kanker (Building)	0.231 he.	Completed	2	Male Hostel	0.600 he.	Proposed area	3	Approach road	0.135 he.	Completed	No.	Name of construction	Area he.	Remark	1	I Type 8. Nos Quater	0.190 he.	Proposed area	2	G Type 4. Nos Quarter	0.270 he.	Proposed area	3	F- Type 12. Nos Quarter	0.650 he.	Proposed area	4	Play Ground (football,cricket, badmintion, basketball)	1.500 he.	Proposed area	5	Principal House	0.190 he.	Proposed area	6	Girls, Hostel	0.400 he.	Proposed area	7	Ground	0.143 he.	Proposed area	Grand Total-		4.309 he.	
No.	Name of construction	Area(he.)	Remark																																																			
1	Govt. Polytechnic Collage Kanker (Building)	0.231 he.	Completed																																																			
2	Male Hostel	0.600 he.	Proposed area																																																			
3	Approach road	0.135 he.	Completed																																																			
No.	Name of construction	Area he.	Remark																																																			
1	I Type 8. Nos Quater	0.190 he.	Proposed area																																																			
2	G Type 4. Nos Quarter	0.270 he.	Proposed area																																																			
3	F- Type 12. Nos Quarter	0.650 he.	Proposed area																																																			
4	Play Ground (football,cricket, badmintion, basketball)	1.500 he.	Proposed area																																																			
5	Principal House	0.190 he.	Proposed area																																																			
6	Girls, Hostel	0.400 he.	Proposed area																																																			
7	Ground	0.143 he.	Proposed area																																																			
Grand Total-		4.309 he.																																																				
5	<p>प्रस्ताव के पृष्ठ क्र. 30, 31 में वन भूमि की आवश्यकता को न्यूनतम बताया गया है, जबकि मुख्य वन संरक्षक कांकेर के पत्र दिनांक</p>	<p>प्रस्ताव के पृ.क्र. 30 में वन भूमि की मांग न्यूनतम उल्लेखित है, जो सही है, क्योंकि प्रकरण में पॉलिटेक्निक भवन के साथ-साथ अन्य आवश्यक भवन की आवश्यकता है, प्राचार्य शासकीय</p>																																																				

<p>16.08.2019 अनुसार पूर्व में व्यपवर्तित 0.999 हे. वन भूमि में शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज का निर्माण किया जा चुका है। कृपया न्यूनतम आवश्यकता संबंधी प्रमाण पत्र पर उचित कारण दर्शाते हुए टीप प्रेषित करें।</p>	<p>पॉलिटेक्निक कांकेर के मांग अनुसार 4.309 हे. भूमि का प्रस्ताव तैयार कर प्रेषित की गई है जो कि प्रस्ताव के पृ.क्र. 31 में मदवार उल्लेख है। अतः प्रकरण में आवश्यकता के अनुरूप प्रस्ताव के पृ.क्र. 31 के अनुसार मान्य करते हुए स्वीकृति हेतु अनुशंसा की जाती है।</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

अतः प्रकरण के प्रस्ताव में पाई गई त्रुटियों का निराकरण कर प्रस्ताव एवं प्रभावित भूमि एवं वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित क्षेत्र का डी.जी.पी.एस.सर्वे रिपोर्ट 04-04 प्रतियों में आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न सादर सम्प्रेषित है।

संलग्न :- प्रस्ताव एवं प्रभावित भूमि व वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित भूमि का डी.जी.पी.एस. सर्वे रिपोर्ट 04-04 प्रतियों में।


मुख्य वन सुरक्षक
कांकेर वृत्त, कांकेर

पृ.क्रमांक/मा.चि./न.क्र.32/21020/1306

कांकेर, दिनांक/09/06/2020

प्रतिलिपि :-

1. वनमंडलाधिकारी कांकेर वनमंडल को संदर्भित पत्र (अ.क्र.2) के तारतम्य में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
2. प्राचार्य, शासकीय पॉलीटेक्निक नाथिया नवागांव कांकेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


मुख्य वन सुरक्षक
कांकेर वृत्त, कांकेर